न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/94/2017

उनवान

1. मदन गोपाल पुत्र केदार मल सोनी, निवासी आगूचा, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. भागचन्द पुत्र रामनाथ चौधरी, निवासी खेडा पालोला, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नि भवानीशंकर लढा जाति महाजन, निवासी हरुडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 251/2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.2.2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री दिनेश तिवाडी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्रीमती निर्मला जैन ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 8.5.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खातेदारी मालिकाना एवं स्वामित्व की आराजियात मौजा मूणजी का खेडा पटवार हल्का आगूंचा प्रथम तहसील हुरडा के खाता संख्या नया 277 पुराना 1311 की आराजी नम्बर 6565/82 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय है। वादिया की उक्त आराजियात में प्रतिवादीगण ने बिना अधिकार के जबरन वादिया की गैर मौजूदगी का लाभ उठाते हुए दिनांक 5.7.2012 को हल हॉक कर कब्जा कर लिया । वादिया की उक्त आराजियात पर काश्त करते हुए वादिया ने बुवाई की जिसे प्रतिवादीगण ने हंकाई कर दी। क्योकि वादिया का पुत्र अपने व्यापारिक कार्यों से बिजयनगर गया हुआ था जब वह लौटकर आया तो उसे जानकारी हुई एवं उसने प्रतिवादीगण को ओलम्बा दिया तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हमारे कब्जे में दखलन्दाजी की तो हमसे बुरा नहीं होगा एवं वादिया को उक्त आराजियात को विक्रय करने पर प्रतिवादीगण लगातार दबाव डाल रहे हैं।

2. वादग्रस्त आराजियात के प्रतिवादीगण पडौसी होने का लाभ उठाते हुए जबरन कब्जा कर लिया है । अतः वादिया के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादिया की खातेदारी मालिकाना एवं स्वामित्व की आराजियात मौजा मूणजी का खेडा के खाता संख्या नया 277 पुराना 1311 की आराजी नम्बर 6565/82 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय की बेदखली की डिक्री पारित कर कब्जा प्रतिवादीगण का हटाकर वादिया को दिलाये जाने की डिक्री पारित की जावे एवं खर्चा मुकदमा एवं हाल फसल का हर्जाना काश्त के 2,00,000/– रूपये ताफैसला एवं कब्जेयाबती तक दिलाये जाने की भी डिक्री प्रदान की जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की अपीलार्थीगण को तत्समय जानकारी नहीं हो सकी थी। जानकारी दिनांक 1.3.2017 को होने पर निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं अधीनस्थ न्यायालय से निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीया/वादिया ने वादग्रस्त आराजी पर दिनांक 5.7.2012 को हंकाई कर जबरन अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करने का कथन किया । जबकि वादिया के दिनांक दिनांक 17.3.2015 को अधीनस्थ न्यायालय मे हुए बयानों के आधार पर वादिया ने वादग्रस्त आराजी को क्रय किया उससे पूर्व ही अपीलार्थीगण का कब्जा था तथा मौके पर जाकर आराजी बताने में भी असमर्थ होना कहा है। प्रत्यर्थीया/वादिया को वादग्रस्त आराजियात के पडौस की भी जानकारी नहीं है । जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि मात्र कागजों में वादिया के पुत्र के द्वारा अपनी मॉ/वादिया के नाम पर वादग्रस्त आराजी को क्रय किया गया है । मात्र प्रतिवादीगण की आराजी को अपनी बताकर कब्जा लेने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया है। इस तथ्य को नजरअंदाज कर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 2 का निर्णय वादिया के पक्ष में किया है जो कानूनन गलत है वादिया को जब अपनी आराजी का पता नहीं है न ही पडौस का पता है । प्रत्यर्थी/वादिया के पुत्र कभी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए । पटवारी हल्का के बयान भी नहीं लिये गये । प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादिया ने दिनांक 5.7.2012 को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कथन किया गया है परन्तु ऐसी कोई रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में वादिया अपने वाद को साबित करने में असफल रही है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया का वाद पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम तनकी संख्या 4 से 6 को अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने बखूबी साबित कराया है । उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया के पक्ष में तनकी नम्बर 2 व 3 को मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तनकी नम्बर 4 व 5 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रतिवादीगण के हक में मानी जाती है तो वादग्रस्त आराजी पर सन् 1990 से ही प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। वादिया के द्वारा वाद पत्र वर्ष 2012 में प्रस्तुत किया गया है। जबकि कब्जा लेने की मियाद 12 वर्ष ही है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादिया की ओर से पेश गवाह गिरधारी लाल गुर्जर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के द्वारा बयान के उपरान्त जिरह में वादग्रस्त आराजी किस दिशा में है, एवं प्रतिवादीगण की आराजी किस दिशा में है नहीं बता सका । उसके द्वारा तीन साल तक सिजारे पर काश्त करने का कथन किया है। वादिया की ओर प्रस्तुत प्रदर्श 3 पर्चा मौका पत्थरगढी वक्त स्वयं का व मदन गोपाल का उपस्थित होना बताया है लेकिन प्रदर्श 3 में न तो गवाह के व न ही मदन गोपाल के हस्ताक्षर ही है । ऐसे में उक्त गवाह के बयान झूठे साबित होते हैं। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया है। जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे।

11. प्रत्यर्थीया के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थीया/वादिया की खातेदारी मालिकाना एवं स्वामित्व की आराजियात मौजा मूणजी का खेडा के खाता संख्या नया 277 पुराना 1311 की आराजी नम्बर 6565/82 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय स्थित है। जिस पर प्रत्यर्थीगया का कब्जाकाश्त है एवं राजस्व रेकार्ड में भी वादिया का नाम दर्ज रेकार्ड है।

12. अधीनस्थ न्यायालय में वादिया की ओर से प्रस्तुत गवाह पी डब्ल्यू 2 गिरधारी लाल ने अपने बयानों में वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीगण का वर्ष 2012 से ही कब्जा होने का कथन किया है। उक्त गवाह ने यह भी कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी को 2–3 साल तक सिजारे पर लेकर काश्त की थी।

13. वादग्रस्त आराजी के बाबत सहायक कलक्टर, (एस डी ओ) गुलाबपुरा के इजराय प्रकरण संख्या 76/2011 दिनांक 10.8.02011, राजस्व प्रकरण संख्या 395/09 डिक्री दिनांक 9.11.2009 की पालना में भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पत्थरगढी की सूचना पक्षकारान को दी गई। जिसमें श्री मदन गोपाल के नही मिलने से उसके लडके कालू सोनी ने तामिल लेने से मना किया जिस पर सूचना पत्र मदन गोपाल अपीलार्थी के मकान पर चस्पा किया गया था।

14. भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी का पर्चा मौका बनाया गया एवं मौके पर मौतबिरान की उपस्थिति में पटवारी हल्का, वादी की उपस्थिति में राजस्व रेकार्ड के अनुसार जरीब से नापकर वादग्रस्त भूमि को चिन्हित की गई व न्यायालय से कब्जा संबंधी विवाद होने पर वाद दायर करने का अंकन किया गया है।

15. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में पूर्व की पत्थरगढी को आधार बनाया है तथा पत्थरगढी के अनुसार ही नपती की जाकर अपीलाण्ट/प्रतिवादी का कब्जा पाया जाने पर बेदखल कर कब्जा वादिया/रेस्पोडेण्ट को सिपुर्द किये जाने का आदेश दिया है।

16. अधीनस्थ न्यायालय में वादिया के द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद इस प्रकार डिक्री किया गया है " दावा वादी डिक्री किया जाता है कि वह दोनो पक्षों की उपस्थिति में मौजा मुणजी का खेडा पटवार हल्का आगूंचा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर 6565/82 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा भूमि की मौके पर जाकर नपती करे । यदि प्रतिवादीगण का कब्जा उक्त आराजियात पर पाया जावे तो उसे बेदखल किया जाकर वादिया को कब्जा सिपुर्द किया जावे।

17. चूंकि वादग्रस्त आराजियात की खातेदार काश्तकार वादिया/प्रत्यर्थीया होकर उसका नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय में गवाह पी डब्ल्यू 2 गिरधारी लाल ने अपने बयानों में वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीगण का वर्ष 2012 से ही कब्जा होने का कथन किया है। उक्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गवाह ने वादग्रस्त आराजी को 2–3 साल तक सिजारे पर लेकर काश्त करने का बयान पंजिबद्ध कराया है। जिससे वादग्रस्त आराजियात पर प्रत्यर्थीया/वादिया जो कि वादग्रस्त आराजियात की खातेदार काश्तकार होकर काबिज है।

18. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की उपस्थिति में वादग्रस्त आराजी की नपती करने एवं प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा पाने की स्थिति में बेदखल कर कब्जा वादिया को दिलाये जाने का आदेश पारित किया है। जो विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

19. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादिया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन स्वयं की मौजा मूणजी का खेडा पटवार हल्का आगूंचा प्रथम तहसील हुरडा के खाता संख्या नया 277 पुराना 1311 की आराजी नम्बर 6565/82 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय स्थित है। जिसकी वह राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2066 से 2069 में खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है। जिस पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर लिया है । अतः प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादिया को कब्जा दिलाया जावे।

20. प्रत्यर्थीया/वादिया ने अपने वाद पत्र की ताईद में जमाबंदी संवत 2066 से 2069 , पत्थरगढी करने से पूर्व प्रतिवादीगण को सूचना पत्र जारी किया गया जिसकी प्रति, गवाहान के रूप में वादिया ने स्वयं के बयान पी0 डब्ल्यू0 1 व गवाह पी0डब्ल्यू0 2 गिरधारी लाल के बयान पंजिबद्ध करवाये। अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

साक्ष्य में संपरिवर्तन आदेश अपीलार्थी भागचंद, नजरी नक्शा, अपीलार्थी मदन गोपाल के पक्ष में भूमि का संपरिवर्तन आदेश नक्शा ट्रेश आदि प्रस्तुत किये गये ।

21. प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने 7 तनकियात कायम की । उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड, गवाहान के बयान के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवाईज विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किया गया है।

22. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 6565/82 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा ग्राम मूण जी का खेडा में नहीं है। आराजी नम्बर 82 मीन रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा पर अपीलार्थीगण खरीद से ही काबिज होकर अपने उपयोग उपभोग में ले रहे हैं। प्रत्यर्थीया/वादिया की ओर से उसकी वादग्रस्त आराजी में जबरन कब्जा कर लेने के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है।

23. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि जिस वादग्रस्त आराजी नम्बर 6565/82 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा को वादिया अपनी बता रही है । उसके बारे में अपीलार्थीगण को राजस्व अधिकारियों द्वारा यह कहा गया कि अगर आराजी नम्बर 6565/82 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा का सीमा ज्ञान व पत्थरगढी की जाती है तो मौके पर सभी आराजी में परिवर्तन हो जायेगा। जिससे रेस्पोडेण्ट्स के समक्ष कभी पत्थरगढी नहीं कराई गई मात्र प्रत्यर्थीया/वादिया का पुत्र भूमि विक्रय करने का कार्य करता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीया/वादिया ने झूठा वाद प्रस्तुत किया था।

24. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का तनकीवार विवेचन किया गया । तनकी नम्बर एक '' आया वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजियात वादिया के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खातेदारी मालिकाना हक की आराजियात है ? " इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रत्यर्थीया/वादिया पर था। वादिया ने तनकी नम्बर 1 के समर्थन में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत 2066 से 2069 मौजा मूणजी का खेडा तहसील हुरडा को प्रदर्श कराया है । जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजियात वादिया सुमित्रा देवी पत्नि भवानीशंकर लढा महाजन निवासी हुरडा के नाम दर्ज रेकार्ड स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। अतः इस तनकी पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को उचित पाया जा कर कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं।

25. तनकी नम्बर 2 व 3 को सिद्ध कराने का भार वादिया पर था। दोनों ही तनकियात एक–दूसरे से सबंधित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दोनों तनकियों का निस्तारण एकसाथ किया गया है। तनकी नम्बर 2 व 3 के समर्थन में प्रत्यर्थीया/वादिया ने पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांक 3.7.2012 तथा गवाह पी डब्ल्यू 2 गिरधारी लाल के बयान पंजीबद्ध कराये। प्रदर्श 3 पत्थरगढी मौका पर्चा के अनुसार भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा वादग्रस्त आराजी नम्बर 6565/82 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा भूमि की पत्थरगढी लट्ठा शीट व रेकार्ड एवं जरीब से नापकर दिनांक 3.7.2012 को पर्चा मौका बनाया गया है। जिसमें वादग्रस्त भूमि को नापकर सीमाचिन्ह लगाये गये हैं। वादिया ने गवाह के रूप में पी डब्ल्यू 2 गिरधारी लाल के बयान पंजीबद्ध कराये । गवाह गिरधारी लाल ने अपने बयानों में वादग्रस्त आराजी पर भागचन्द चौधरी व मदनगोपाल सोनी का कब्जा होने का कथन किया है। भागचन्द व मदन जी द्वारा वर्ष 2012 में कब्जा करने का कथन किया है। इस गवाह ने वादग्रस्त जमीन को 2–3 साल सिजारे पर लेकर काश्त करने का कथन भी किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों तनकियों का निर्णय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादिया के पक्ष में किया है। अपीलाण्ट दौराने अपील व बहस यह स्पष्ट करने में असफल रहे हैं कि उन्होनें वादिया की भूमि पर कब्जा नहीं किया है, तथा अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आते हैं।

26. तनकी नम्बर 4 से 6 पर अधीनस्थ न्यायालय ने विवेचन एक साथ किया है। तनकी नम्बर 4 से 6 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने तनकियों के समर्थन में प्रदर्श 4 ए संपरवितर्न आदेश, प्रदर्श 5 ए नक्शा ट्रेश , प्रदर्श 6 ए नजरी नक्शा, प्रदर्श 1 ए सपंरिवर्तन आदेश , प्रदर्श 2 ए नक्शा ट्रेश , प्रदर्श 3 ए नजरी नक्शा को प्रदर्शित करवाया । जिसके अनुसार मदन गोपाल पिता केदारमल सोनी महाजन निवासी आगूंचा के द्वारा ग्राम मुण जी का खेडा की आराजी नम्बर 6844/82 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा में से 2428 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ एवं भागचन्द पिता रामनाथ जाट निवासी खेडा पालोला के द्वारा ग्राम मुणजी का खेडा की आराजी नम्बर 6843/82 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा में से 2428 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कराया जाना प्रमाणित माना है।

27. अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण द्वारा रिकार्ड से यह साबित करवाया है कि उनके द्वारा आराजी नम्बर 6843/82 और 6844/82 का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाया गया है तथा रूपान्तरित भूमि पर वे काबिज हैं । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवेचन उपरान्त तनकी नम्बर 4 व 6 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की है परन्तु तनकी संख्या 6 अनुसार प्रतिवादीगण को यह साबित करना था कि जवाब दावे की कलम संख्या 17 व 18 में वर्णित कारणों से दावा वादी खारिज योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जवाब दावे की कलम संख्या 17 अनुसार अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण द्वरा अपनी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजी का रूपान्तरण करा लेने से व आबादी में दर्ज होने के कारण वादिया का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है तथा कलम संख्या 18 अनुसार वादिया व वादिया का पुत्र मात्र जवाबदार को परेशान व जलील करने के लिए वाद पेश किया है। अतः विशेष हर्जा खर्चा अन्तर्गत धारा 35 ए जाब्ता दीवानी के तहत खारिज होने योग्य है निर्णय के तनकी संख्या 4 से 6 के निर्णय के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि तनकी संख्या 4 और 5 अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित हुई है परन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र यह लिख देने से कि तनकी संख्या 6 अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है, अपीलाधीन निर्णय परिवर्तित नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से वादिया/रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 को खसरा नम्बर 6565/82 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा का खातेदार माना है तथा पत्थरगढी आदेश का हवाला दिया जाकर कब्जा भी प्रार्थीया का ही माना है। ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित गिरदावर, पटवारी हल्का को निर्देशित किया कि वे दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौजा मुणजी का खेडा पटवार हल्का आगूंचा, तहसील हुरडा की आराजी नम्बर 6565/82 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा भूमि पर जाकर नपती करे तथा प्रतिवादीगण का उक्त आराजियात पर कब्जा पाया जाने पर उसे बेदखल किया जाकर वादिया को कब्जा सुपुर्द किया जावे । इस क्रम में पूर्व में जारी पत्थरगढी आदेश डिक्री दिनांक 9.11.2009 की पालना में बनाये गये मौका पर्चा पत्थरगढी दिनांक 3.7.2012 प्रदर्श 3 का अवलोकन किया गया । जिस अनुसार मौतबिरान की उपस्थिति में लट्ठा, शीट, रिकार्ड व जरीब से भूमि को नापकर चिन्ह किये गये। मौका पर्चा पत्थरगढी दिनांक 3.7.2012 में किसी पडौसी का या अन्य दिगर व्यक्ति का कब्जा आराजी नम्बर 6565/82

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा भूमि पर होने बाबत कोई अंकन नहीं है, वरन कब्जे की स्थिति यथावत रखने व कब्जा संबंधी कोई विवाद होने पर न्यायालय में वाद दायर करने का अंकन है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी स्वयं की आराजी पर काबिज काश्त होना बताया है । ऐसे में वादिया अपने हक हिस्से की भूमि की नपती कराकर धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुतोष पाने की अधिकारी है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 7 बाबत भी कोई विवेचन नहीं किया गया है परन्तु अपीलाधीन निर्णय में बिन्दु संख्या 16 में अभिलिखित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 6565/82 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा की वादिया खातेदार काश्तकार है। वादिया का कथन है कि उनकी आराजी पर पत्थरगढी दिनांक 3.7.2012 को किये जाने के उपरान्त दिनांक 5.7.2012 को अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण द्वारा वादिया/प्रत्यर्थी की आराजी नम्बर 6565/82 पर कब्जा कर रखा है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा पर वादिया का कभी कब्जा नहीं होना, तथा प्रतिवादीगण का सन् 1990 से कब्जाकाश्त होना जाहिर किया है। दौराने अपील अपीलाण्ट द्वारा पत्थरगढी आदेश अनुसार वादिया की भूमि का निर्धारण किये जाने बाबत ठोस आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है न ही विवादित आराजियात पर उनके अधिकार या कब्जे बाबत कोई ठोस कारण प्रस्तुत किया है।

28. अपीलाधीन आदेश का धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत परीक्षण किये जाने पर अपीलार्थीगण ट्रेसपासर की श्रेणी में आना प्रकट है। यह भी साबित होता है कि पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांक 3.7.2012 को बनाये जाने के उपरान्त अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 5.7. 2012 को पत्थरगढी आदेश से भिन्न जाकर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादिया/रेस्पोडेण्ट की भूमि पर कब्जा कर लिया है। उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 6565 की पूरी 4 बीघा 02 बिस्वा भूमि पर कब्जा किया है अथवा किसी हिस्सा विशेष पर कब्जा किया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व कर्मचारियों यथा गिरदावर व पटवारी को यह आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है कि भूमि की पत्थरगढी अनुसार नपती करे व कब्जा पाये जाने पर बेदखल करे । सारतः अपीलार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 6565 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा की वादिया की खातेदारी भूमि के कब्जे में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें।

29. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.2.2017 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

30. निर्णय आज दिनांक 8.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

8/5/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री हेमन्त स्वरूप माथुर ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/94/2017

उनवान

1. मदन गोपाल पुत्र केदार मल सोनी, निवासी आगूचा, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. भागचन्द पुत्र रामनाथ चौधरी, निवासी खेडा पालोला, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नि भवानीशंकर लढा जाति महाजन, निवासी हरुडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 251/2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.2.2017 अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/94/2017** मे **उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैः

यह अपील तारीख 8.5.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री दिनेश तिवाडी वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से श्रीमती निर्मला जैन व राजकीय अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश सोनी की उपिस्थति मे दिनांक 8.5.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.2.2017 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक अ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

8.5.19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस